राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: Heat Wave/ Meeting/2024/306 दिनांक : 30/5/24

बैठक कार्यवाही विवरण

माननीय मंत्री महोदय, श्री गजेन्द्र सिंह जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 27.05.2024 को हीट वेव (Heat Wave) की तैयारियों को लेकर तथा मौसमी बीमारियों की रोकथात हेतु निदेशालय के RHSDP Hall मे समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक मे अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, मिशन निदेशक (NHM), प्रबन्ध निदेशक (RMSCL), निदेशक (जन स्वास्थ्य), निदेशक (आरसीएच), निदेशक (एड्स), मुख्य अभियन्ता (NHM), समस्त अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, परियोजना निदेशक तथा स्टेट नोडल ऑफिसर निदेशालय तथा समस्त संयुक्त निदेशक (जोन) उपस्थित रहे एवं जिला व ब्लॉक स्तर के विभागीय अधिकारी वी.सी. (Video Conferencing) के माध्यम से उपस्थित रहे।

बैठक मे सर्वप्रथम परिचय के पश्चात् अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया ने प्रारम्भिक चर्चा में विभाग द्वारा अब तक की गई तैयारियों का उल्लेख किया। तत्पश्चात् निदेशक (जन स्वास्थ्य) ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हीट वेव (Heat Wave) की तैयारियों को तथा मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु अब तक किये गये प्रयासों को दर्शाया।

निदेशक (जन स्वास्थ्य) की प्रस्तुतिकरण के पश्चात् समस्त संयुक्त निदेशक, जोन कार्यालय ने अपने अपने संभाग की तैयारी तथा की गई कार्यवाही का प्रस्तुतिकरण किया।

<u>माननीय मंत्री महोदय ने विभागीय अधिकारियों को निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये</u> :–

- आगामी दिनों मे हीट वेव (Heat Wave) का प्रकोप और तीव्र होने की संभावना है अतः अधिकारी फील्ड में जाकर समस्याओं का जायजा लेगे एवं मौके पर निस्तारण कर सूचित करेगे।
- हीट वेव (Heat Wave) से मृत्यु का सत्यापन भारत सरकार के प्रोटोकॉल्स के अनुसार किया जाता है अतः स्थानीय स्तर पर मीडियॉकर्मियों को सही जानकारी देवे तथा मीडिया में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही को प्रकाशित करावे।
- प्रिन्ट एवं डिजिटल मीडिया में लू–ताप–घात से बचाव तथा विभाग द्वारा की गई तैयारियों के विज्ञापन दिये जाये।
- जिला स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम मे प्राप्त कॉल्स का फीडबैक संयुक्त निदेशक व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निदेशालय पर भिजवाया जाये।
- आगामी दिनों मे संस्थानवार पंखे, वॉटरकूलर, ए.सी., कूलर, बिजली व पानी की स्थिति प्राप्त की जाये तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाये।
- ए.सी., कूलर एवं पखें की किसी भी चिकित्सा संस्थान मे कमी है तो बाजार से किराये पर लिये जाए।
- भरतपुर जिले की स्थिति को देखते हुए विभागीय जिला प्रभारी फील्ड मे जाये तथा संयुक्त निदेशक, जोन भरतपुर से समन्वय स्थापित कर स्थिति मे सुधार करे।
- संस्थानों मे सीधी धूप के प्रकोप को कम करने हेतु ग्रीन पर्दे भी [illegible] जा सकते हैं।
- सभी संस्थान Fire NOC के लिए आवेदन करे।
- जिला अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि IHIP Po[illegible] रिपो[illegible] जाए।

RajKaj Ref
7610106

Signature valid
Digitally signed by Dr.Ravi Prakash Mathur
Designation: Director
Date: 2024.05.29 23:09:42 IST
Reason: Approved

30/5/24

- रिपोर्टिंग एवं रिकॉर्डिंग प्रोटोकॉल्स के तहत् किये जाए।
- बिजली–पानी की वैकल्पिक व्यवस्था समस्त संस्थानों पर सुनिश्चित की जाए।
- जिन जिलों से कम संस्थानो द्वारा IHIP Portal पर सूचना दर्ज की जा रही है उन 10 जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी किये जाए।
- कूलर्स/एसी आदि क्रय करने हेतु RMRS के फण्ड से 15 प्रतिशत तक की राशि नियमानुसार खर्च की जा सकती है उक्त प्रक्रिया को पत्रावली पर अनुमोदन प्राप्त कर आगामी ई.सी. बैठक मे अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही की जाए।
- आर.एम.एस.सी.एल की रेट कान्ट्रेक्ट से अतिआवश्यक उपकरण/एसी क्रय किये जा सकते है।

माननीय मंत्री महोदय ने पुनः विभागीय अधिकारियों को दोहराया कि नागरिकों को तत्काल गुणवत्तायुक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, इसमे किसी प्रकार लापरवाही पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदार तय होगी।

अन्त मे मिशन निदेशक, एनएचएम ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।

सौहार्दपूर्ण वातारण मे बैठक समाप्त हुई।

(डॉ. रवि प्रकाश माथुर)
निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः Heat Wave/ Meeting/2024/306 दिनांक : 30/5/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सहायक निदेशक (जन स्वास्थ्य/आरसीएच/एड्स) मुख्यालय।
5. समस्त अतिरिक्त निदेशक, मुख्यालय।
6. मुख्य अभियन्ता (सिविल विंग), मुख्यालय।
7. समस्त संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/परियोजना निदेशक तथा स्टेट नोडल ऑफिसर, निदेशालय।
8. समस्त सयुक्त निदेशक जोन, राजस्थान
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
11. समस्त जिला शिशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन अधिकारी
12. समस्त अतिरिक्त/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प.क./स्वास्थ्य) आईडीएसपी टीम।
13. समस्त अधिशाषी अभियन्ता।
14. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राजस्थान।
15. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
16. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रभारी अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।
17. समस्त खण्ड कार्यक्रम प्रबन्धक, राजस्थान।
18. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख हैं कि उपरोक्त को ई–मेल (एवं विभागीय साइट पर अपलोड) कराना सुनिश्चित करावें।
19. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
7610106

Signature valid
Digitally signed by Dr.Ravi Prakash Mathur
Designation : Director
Date: 2024.05.29 23:09:42 IST
Reason: Approved